निगरानी / टीए / 1371 / 2005 / जयपुर
गेन्दाराम बनाम नानगराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ डॉ महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य उपस्थितः– (1) जे0के0 पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से। (2) श्याम बाबू पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से। निर्णय दिनांकः–31.01.2024 1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू, जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–03–2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जो कि प्रकरण संख्या 30 / 2005 बउनवानी गेंदाराम बनाम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में पारित किया गया। 2– विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई। 3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अप्रार्थीगण–रेस्पो0 का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का कोई हित विवाद में नहीं था और ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका कि कोई हित विवाद में नहीं हो और जो केवल विवाद को लम्बा करने में सहायक हो, पक्षकार कानूनन नहीं बनाया जा सकता है, यह कानूनी स्थिति स्थापित विधि है जिसके खिलाफ जाकर परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 16–03–2005 का आक्षेपित आदेश पारित किया है। परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपना आदेश दिनांक 16–03–2005 को पारित किया है कि वादी की इच्छा के खिलाफ वादी को वाद कारण जिन लोगो के खिलाफ पैदा ही नहीं हो, उनके बिना वाद कारण पक्षकार बनाने हेतु पाबंद नहीं किया जा सकता है और ऐसे आदेश कानूनन पोषणीय नहीं है। अप्रार्थीगण ने न कोई दस्तावेज पेश किये न हीं कोई सबूत ऐसे बताये जिससे कि उनका कोई हित वादी की खातेदारी भूमि कमें हो अथवा रेस्पो0 संख्या 5 एवं उसके सहयोगीयों को प्रार्थी की खातेदारी भूमि को जबरन नष्ट करने देने का अधिकार हो, फिर भी परीक्षण न्यायालय ने जो दिनांक 16–03–2005 का आक्षेपित आदेश पारित किया है। बिना किसी प्रकार का हित किसी भी व्यक्ति का प्रभावित हुए वह पक्षकार नहीं बनाया जा सकता तथा यदि ऐसे किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाता है, तो इससे वादी को कोई लाभ नहीं होता और चूंकि इसमें वाद कारण का भी अभाव होता है, इसलिए किसी भी न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि बिना वाद कारण	

निगरानी / टीए / 1371 / 2005 / जयपुर
गेन्दाराम बनाम नानगराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के वादी की इच्छा के विरूद्ध वह वादी से यह मांग करे कि आप किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाओ। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 16–03–2005 निरस्त फरमाया जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016 (1) पेज 149, 2007 (3) डीएनजे (राज0) पेज 1432, 2000 डीएनजे (राज) पेज 158, 1984 आरआरडी पेज 77, 1997 आरबीजे पेज 130 (एससी), 2011 (1) डब्ल्यूएलसी एससी सिविल पेज 426, 1998, डीएनजे (राज) पेज 318 (एचसी), 2016 (2) डीएनजे (राज) पेज 907 (एचसी), 2009 (3) डीएनजे (राज) पेज 1421 (एचसी) आदि के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए। 4– विद्वान अभिभाषक अनिगराकार ने निगराकार के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि निगराकार गेन्दाराम ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के समक्ष एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें प्रतिवादी क्रम 01 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जरिये सहायक अभियंता, प्रतिवादी क्रम 02 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जरिये अधिशाषी अभियंता, प्रतिवादी क्रम 03 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जरिये प्रबंध निदेशक को पक्षकार कायम कर पेश किया था। निगराकार द्वारा अनिगराकारगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अनिगराकार क्रम 01 लगायत 04 के द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने निगराधीन आदेश दिनांक 16–03–2005 के द्वारा विधिसम्मत रूप से स्वीकार करते हुए प्रस्तुत वाद में उन्हें पक्षकार बनाये जाने का आदेश पारित किया। परीक्षण न्यायालय ने उन्हें हितबद्ध पक्षकार मानते हुए अप्रार्थी क्रम 04 लगायत 07 बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–03–2005 बहाल रखा जावे। 5– हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में निगराकार ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष निगराकार गेन्दाराम ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के समक्ष एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था तथा वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था। प्रस्तुत वाद में वादी / निगराकार द्वारा प्रतिवादी क्रम 01 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जरिये सहायक अभियंता, प्रतिवादी क्रम 02 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जरिये अधिशाषी अभियंता, प्रतिवादी क्रम 03 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जरिये प्रबंध निदेशक को पक्षकार कायम कर पेश किया था। अनिगराकार क्रम 01 लगायत 04 के द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अनिगराकार क्रम 01 लगायत 04 को वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिनांक 16–03–2005 पारित किया था। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–03–2005 से व्यथित होकर प्रार्थी निगराकार ने मण्डल के	

निगरानी / टीए / 1371 / 2005 / जयपुर
गेन्दाराम बनाम नानगराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की है। निगरानी में मुख्य रूप से कथन किया गया है कि ''**परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अप्रार्थीगण–रेस्पो0 का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का कोई हित विवाद में नहीं था और ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका कि कोई हित विवाद में नहीं हो और जो केवल विवाद को लम्बा करने में सहायक हो, पक्षकार कानूनन नहीं बनाया जा सकता है, यह कानूनी स्थिति स्थापित विधि है जिसके खिलाफ जाकर परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 16–03–2005 का आक्षेपित आदेश पारित किया है। परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपना आदेश दिनांक 16–03–2005 को पारित किया है कि वादी की इच्छा के खिलाफ वादी को वाद कारण जिन लोगो के खिलाफ पैदा ही नहीं हो, उनके बिना वाद कारण पक्षकार बनाने हेतु पाबंद नहीं किया जा सकता है और ऐसे आदेश कानूनन पोषणीय नहीं है।**'' हम निगराकार के उक्त कथनों से सहमत नहीं है, क्योंकि परीक्षण न्यायालय ने अपने निगराधीन आदेश में उल्लेखित किया है कि यदि वादी / निगराकार के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हो जाती है तो अनिगराकार क्रम 01 लगायत 04 के पक्ष में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकेगा और ऐसी स्थिति में अनिगराकार क्रम 01 लगायत 04 को हितबद्ध पक्षकार मानते हुए उन्हें पक्षकार बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए संशोधित वाद व संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये गए थे। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत प्रतीत होता है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता हैं। किसी वाद / प्रार्थना पत्र में हितबद्ध पक्षकार बनाये जाने से प्रस्तुत वाद की मैरिट / गुणावगुण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। उपर्युक्त स्थिति में हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किया जाना उचित समझतें है। 6– परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–03–2005 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ महेन्द्र लोढ़ा) सदस्य	